

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**(Ministry of Labour & Employement, Govt. of India)



उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे

प्लॉट: ए-12/1, एम.आई.डी.सी., ए.बी.एस. मार्ग, वागले इस्टेट डाकघर के पास, ठाणे (प.), महाराष्ट्र-400604 Sub Regional Office, Thane

Plot No.-A-12/1, MIDC, LBS Marg, Next to Wagle Estate Post Office, Thane(W), Maharashtra-400604 Telephone- 022-69074700 to 799, Fax-25806131 Email: dir-thane@esic.gov.in, Website: esic.gov.in

दिनांक 13/02/2025

सं.- 34-A/12/22/MiscellaneousCircular./Admn-2010

## परिपत्र Circular

## विषय: एलटीसी के लिए आवेदन करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। Subject: Procedure to be followed while applying for LTC

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सभी कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि एलटीसी/एलटीसी अग्रिम का लाभ लेने के लिए कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:-

With reference to above subject, all officials are informed that while availing LTC Advance kindly comply with the following directions: -

 एलटीसी का लाभ लेने की सूचना यात्रा आरंभ करने की तिथि से 10 दिन पहले प्रशासन शाखा को निम्नलिखित प्रारूप में अनिवार्य रूप से दी जाए।

Intimation for availing LTC must be given to the Administration Branch in the following format 10 days before the date of commencement of journey.

क्र.सं.	नाम, पदनाम एवं	किसके लिए एलटीसी	ब्लाक वर्ष	एलटीसी का	यात्रा प्रारंभ	छुट्टी का प्रकार एवं
S.N.	कर्मचारी संख्या	ली जा रही है,	Block	प्रकार एवं यात्रा	/ वापसी	ऑनलाइन छुट्टी
	Name,	स्वयं/परिवार (नाम एवं	Year	स्थान	यात्रा की	आवेदन संख्या
	Designation &	आयु सहित)		(ई्आरपी	तिथि	Type of Leave
	Emp. ID	For whom LTC is		आवेदन सं.)	Date of	and Online Leave
		being availed		LTC Type &	Journey /	Request No.
		Self/Family (Name		Place of Visit	Return	
		& Age)		(ERP LTC No.)	Journey	
1		1.				
2		2.				
3		3.				
4		4.				

2. एलटीसी अग्रिम/एलटीसी के साथ छुट्टी नकदीकरण के आवेदन की स्थिति में यह सूचना 20 दिन पहले प्रशासन शाखा को दी जाए।

In case of application for LTC Advance/Leave Encashment with LTC, this intimation must be given to the Administration Branch 20 days in advance.

3. बिना किसी पूर्व सूचना के एलटीसी/एलटीसी अग्रिम/एलटीसी के साथ छुट्टी नकदीकरण के किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

No application for LTC/LTC Advance/Leave Encashment on LTC will be entertained without prior intimation.

4. स्वयं के लिए एलटीसी आवेदन के संबंध में कार्मिक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा शुरू करने से पहले रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा छुट्टी अनुमोदित कर दी गई है।

In respect of LTC application for self, the official should ensure that the leaves have been approved by the reporting officer before commencement of the journey.

सहायक निदेशक Assistant Director (प्रशा.Admn.)

## प्रतिलिपि Copy To:

- 1. सभी अधिकारी/अधीक्षक All Officers/Supdts. Concerned.
- 2. सभी शाखाएं, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे All Branches, SRO Thane
- 3. सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय/डीसीबीओ All Branch Managers, Branch Offices/ DCBOs.
- 4. आईसीटी शाखा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ICT Branch for uploading same on the website.
- 5. नोटिस बोर्ड Notice Board